


FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर
सुभाष चन्द बनाम तहसीलदार मुण्डावर

किस्म मुकदमा-बाजदायरी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 नियम 9 जीसीएमएस नं 2025 / 1416

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपील को पुनः रेस्टोर किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट व वकील अपीलांट के लगातार गत पेशियों पर अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.01.2024 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया है एवं वकील प्रार्थी द्वारा लगभग 18 माह बाद प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर </p>	